न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील सं. 2018/000340 (221/2018) 225 आर टी ए

महावीर पुत्र. मुन्शीराम जाति जाट साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

––अपीलांट

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र राजू जाति जाट साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
2. पृथ्वी पुत्र मुन्शीराम जाति जाट साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा
3. मोहनलाल उर्फ धर्मपाल पुत्र मुन्शीराम जाति जाट साकिन मलखेड़ा
4. सरस्वती पत्नी रघूवीर जाति जाट साकिन लुदेसर तहसील नाथूसरी चोपटा जिला हिसार (हरियाणा)
5. रामेश्वरी पत्नी बहादुर जाति जाट साकिन लुदेसर तहसील नाथूसरी चोपटा जिला हिसार (हरियाणा)
6. विमला पत्नी पालाराम जाति जाट साकिन रिंगोरणी तहसील नाथूसरी चोपटा जिला हिसार
7. सेधा पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन रिंगोरणी तहसील नाथूसरी चोपटा जिला हिसार
8. मला पुत्र राजू जाति पुत्र राजू जाति जाट साकिन मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्श शाखा भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
10. ओरियन्अल बैंक ऑफ कामर्श शाखा रावतसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

––रेस्पोडेंटस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 25.06.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर प्र0सं0 66/2016 अमवानी महेन्द्र बनाम महावीर आदि

उपस्थित :–

श्री हवासिंह पूनीयॉ अधिवक्ता, अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रामकुमार कस्वा भादरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1

निर्णय दिनांकः–15.03.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने एक पार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) राज0 कॉलोनाईजेशन जनरल कण्डीशन एक्ट व धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया, जिसमें प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा गया। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26.05.2018 के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय से

दूरी पर है जिससे आवागमन नहीं हो सकता है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से ज़ाहिर है कि रास्ता मौके पर चालू नही है। इसके बावजूद अपीलाण्ट को परेशान करने के लिए रास्ता स्वीकृत किया गया है जो विधि सम्मत नही है। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में जाने के लिए अन्य रास्ते का विकल्प मौजूद है। अपीलाधीन निर्णय साजिशाना एवं अपीलाण्ट को नुकसान पहूंचाने के लिए पारित करवाया गया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण के सम्बन्ध में टिप्पणी मांगी गई थी उसके बावजूद आदेश पारित किया गया है। जब रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता मौजूद है तो अन्य रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नहीं है। अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त करवाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट को अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ते की परम आवश्यकता थी जिसके कारण अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है। रास्ते में आई भूमि के बदले में अपीलाण्ट को भूम दे दी गई है जिसका नामान्तरण हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्ध अपील में स्थगन खारिज कर दिया अपीलाण्ट को 15 दिवस का स्थगन दे दिया गया। इस न्यायायल द्वारा स्थगन खारिज करने के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में रिविजन पेश की जिसे नोट प्रेस में खारिज करवा लिया और एक माह का स्थगन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से ले लिया और प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर एक माह में निस्तारण करने का आदेश दिया गया है। प्रश्नगत रास्ता खोला जा चुका है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। रेस्पोडेण्ट की फसल तैयार खड़ी है लेकिन अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट को अपने खेत में आवागमन में बाधा पहूंचाई जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर तथा स्वंय मौका निरीक्षण कर आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत हैं। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना--पत्र पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकत किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि रेस्पोडेण्ट द्वारा चाहा गया रास्ता लम्बा है। रेस्पोडेण्ट के पास अपने रास्ते में जाने के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध है। रास्ता स्वीकृत होने से उसकी भूमि के टूकडे हो जायेंगे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट दिनांक संलग्न है जिसके अनुसार "प्रार्थी के पास अपने खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। फसल पकी हुई है यह तथा यह रास्ता सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है बल्कि इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक साधन नहीं है।" इसके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रस्तावित रास्ता 80 प्रतिशत हिस्सा व पार्थी व अप्रार्थी सं0 8 की सहमति है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की खातेदारी से नहीं गुजरता है। प्रस्तावित रास्ता का 20 प्रतिशत हिस्सा ही अप्रार्थीगण सं0 1 ता 7 की खातेदारी किला नं. 3 के पूर्व तरफ उत्तर से दक्षिण गुजरेगा जो लघुतम है। प्रस्तावित रास्ता से किसी भी कास्तकार को असुविधा या अपूर्णीय क्षति की कोई संभावना नहीं है। रास्ते के संबंध में यह तथ्य ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि रास्ते में कम से कम भूमि ली जावे, अप्रार्थी की भूमि के अनावश्यक रूप से टृकड़े नहीं किये जावें। रास्ता इस प्रकार से स्वीकृत किया जावे कि सभी पड़ोसी खातदारी अपनी अपनी कृषि भूमि में एक रास्ते से आवागमन कर सकें। इस प्रकरण में रास्ते हेतु न्यूनतम भूमि ली गई है। भूमि के टुकड़े नहीं हो रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट, स्वयं उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका देखकर रास्ते की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.06.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15/3/19

(मूल चन्द)आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official